

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 27.08.2020

थाना भोगनीपुर

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 414/2020 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 5m/6 पाक्सो अधिनियम में वाछिंत अभियुक्त नरेन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना देवराहट

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 49/2020 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 में वाछिंत अभियुक्त रामदयाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना शिवली

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 392/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त बादलनाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 629/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त विवेक को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 631/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त अर्जुन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना गजनेर

दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 332/20 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त सुरेन्द्रपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 27.08.2020 को जनपदीय पुलिस अकबरपुर 10, मंगलपुर 08, भोगनीपुर 03, रूरा 03, डेरापुर 02, रसूलाबाद 03, गजनेर 07, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

डायल 112 - निल